संविधान का भाग - 18,

- अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है । Part - 18 of the Constitution, from Articles 352 to 360 deals with emergency provisions.
  - भाग - 18, जर्मनी के संविधान से प्रेरित (Inspired) है । Part – 18 is inspired by the Constitution of Germany.

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। यथा Three types of emergencies have been envisaged in the Indian Constitution. As

(i) युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात अथवा राष्ट्रीय आपात, (अनु. 352) Emergency arising out of war, external aggression or armed rebellion or a national emergency, (Art. 352)

National Emergency
राष्ट्रीय आपातकाल ⇒ Art. 352

↳ घोषणा ⇒ राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन मंत्रिमण्डल की लिखित अनुमति के बाद। (44 CA 1978)

आधार (Ground) – (1) युद्ध (war)
(2) बाह्य आक्रमण (External Agression)
(3) सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion)
↳ 44 CA 1978

3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा

डा० एस० राधाकृष्णन

(1) 1962 ⇒ चीन आक्रमण (Attack) ⇒ PM ⇒ Pt. J. L. Nehru, President

(2) 1971 ⇒ पाक० ,, ⇒ PM ⇒ इंदिरा गांधी, President ↳ वी० वी० गिरि

(3) 1975 ⇒ आंतरिक अशांति (Internal Disturbance)

↳ PM ⇒ इंदिरा गांधी

↳ President ⇒ फखरुद्दीन अली अहमद

1978 ⇒ PM ⇒ मोरारजी देसाई

↳ 44 CA 1978

हटाने (Remove) ⇒ सशस्त्र विद्रोह

↳ 44 CA 1978

Armed Rebellion

(ii) राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अथवा राष्ट्रपति शासन (अनु. 356) Emergency arising out of failure of constitutional machinery in the States, or President's Rule (Art. 356)

(ii) वित्तीय आपात (अनु. 360) I Financial emergency (Art. 360).

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा

(Proclamation of National Emergency)

राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा अनु. - 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गम्भीर आपात विद्यमान है जिसमें, युद्ध (war) या बाह्य आक्रमण (External aggression) या सशस्त्र विद्रोह (Armed Rebellion) के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह सम्पूर्ण भारत या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा (Proclamation) कर सकता है।

The proclamation of national emergency is done by the President under Article- 352. Whenever the President is satisfied that a grave emergency exists in which the security of India or any part of it is in danger due to war or external aggression or armed rebellion, he can proclaim a national emergency in respect of the whole of India or any part of it.

उद्घोषणा का अनुमोदन (Approval of Proclamation)

⟹ Ls और Rs

- यदि दोनों सदन उद्घोषणा को एक माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं, तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है । किन्तु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है, If both the Houses do not approve the proclamation within a month, the proclamation automatically expires. But if the proclamation is made at that time,

Approval (अनुमोदन) ⇒ LS और Rs ↳ 2/3 Majority/बहुमत
↳ विशेष बहुमत

↳ घोषणा के दिन से 1 माह के अंदर : 2 (within 1 Month's)

↳ 1 बार अनुमोदन से 6 माह (Month's) तक लागू

↳ 6 माह ⇒ के बाद लगाने के लिए फिर से अनुमोदन

↳ अधिकतम समय (Maximum Duration) ⇒ असीमित समय (unlimited)

- उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प, प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई (2/3) बहुमत से पारित किया जाता है I) इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। The resolution approving the proclamation is passed by each House by a majority of its total membership and a two-thirds (2/3) majority of the members present and voting. This is also called special majority.

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है Once approved, the proclamation of emergency remains in operation for 6 months

- उसे 6-माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है Re-approval by both houses of Parliament is required for continuation beyond 6 months

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- संसद की विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। वह राज्यसूची (State List) के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। The legislative power of the Parliament expands. It can make laws on any subject in the State List.

राज्य सूची = State List
राज्य सरकार = State Govt (विधानमंडल = legislature)
राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून संसद बनाती है।

⇒ शक्तियों का केंद्रीयकरण
Centralization of Powers

- संसद द्वारा बनाई गयी विधि उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद समाप्त हो जाती है A law made by the Parliament expires after six months when the proclamation is no longer in operation

राष्ट्रीय आपातकाल के समय > संसद को राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाये थे, वो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद समाप्त हो जाते हैं।

- अनु. 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो अनु. 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार (Rights of Freedom) स्वतः निलम्बित हो जाता है । According to Article 358, when a proclamation of emergency based on war or external aggression is in operation, the Right to Freedom guaranteed by Article 19 is automatically suspended.

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव → Art. 358 → Art. 19 ⇒ स्वतंत्रता का अधिकार
↳ अगर राष्ट्रीय आपातकाल, युद्ध (war) या बाह्य

आक्रमण के आधार पर लगता है तो Article 19 निलंबित (suspended) हो जायेगा।

- अनु. 359 के तहत राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के प्रवर्तित (Enforce) कराने के अधिकार को निलम्बित करने की शक्ति दी गई है।
- Under Article 359, the President has been given the power to suspend the right to enforce the fundamental rights.

Art 359 ⇒ राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित (suspend) कर सकते हैं Art 20, और 21 छोड़कर।

- संसद को यह अधिकार होता है कि वह एक बार में एक वर्ष के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दे, Parliament has the power to extend the term of the Lok Sabha for one year at a time,

राष्ट्रीय आपातकाल → संसद → लोकसभा / विधानसभा (Legislative) → दोनों के कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

उद्घोषणा की वापसी

(Revocation of Proclamation)

- वापस लेने वाली उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। The recalling proclamation does not require approval by Parliament.

राष्ट्रपति वापस ले लेते हैं।

राज्यों में राष्ट्रपति शासन
(President Rule in the State)

- राज्यों में संवैधानिक तंत्र (Consitutional Machinery) विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा अनु. 356 के तहत जारी की जाने वाली उद्घोषणा को आम बोल-चाल की भाषा में 'राष्ट्रपति शासन कहा जाता है When the constitutional machinery fails in the states, the proclamation issued by the President under Article 356 is commonly known as 'President's rule'.

राष्ट्रपति शासन → Art 356

→ घोषणा ⇒ राष्ट्रपति, मंत्रिमण्डल का अनुमोदन (Approval of cabinet) → मौखिक (oral)

→ आधार (Ground) ⇒ राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल
(Failed the constitutional Machinary in states)

⇓

जानकारी ⇒ राज्यपाल राष्ट्रपति को देते हैं।

⇒ राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं।

→ सबसे ज्यादा बार
- 10 बार - U.P
- 10 बार ⇒ मणिपुर

सबसे पहले लगा ⇒ पंजाब में।

- यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन (Report) मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है।

If the President, on receipt of a report from the Governor of a State or otherwise, is satisfied that the governance of that State cannot be carried on according to the constitutional provisions, he can proclaim President's rule in that State.

उद्घोषणा का अनुमोदन (Approval of Proclamation)

→ LS / RS
→ घोषणा के दिन - 2 माह / 2 Months
→ साधारण बहुमत (Simple Majority)

- प्रत्येक सदन द्वारा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत (साधारण बहुमत) से दो माह के भीतर पारित करना होता है* अन्यथा वह स्वतः समाप्त हो जाती है। It has to be passed by each House by a majority (simple majority) of the members present and voting within two months* otherwise it lapses automatically.

1 बार अनुमोदन - 6 माह तक लागू
Maximum Duration ⇒ 3 years / 3 वर्ष

उद्घोषणा की अवधि

(Period of Proclamation)

- यदि संसद के दोनों सदन इसे साधारण बहुमत से दो माह के भीतर अनुमोदित कर देते हैं तो ऐसी उद्घोषणा 'जारी किये जाने की तिथि से 6 माह तक' प्रवर्तन में रहती है। If both Houses of Parliament approve it by a simple majority within two months, such a proclamation remains in operation for 'six months from the date of its issue'.

- संसद के पुनः अनुमोदन से उद्घोषणा की अवधि 6-6 माह बढ़ायी जा सकती है, किन्तु उसे किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक अवधि तक प्रवर्तन में नहीं रखा जा सकता है। With the re-approval of the Parliament, the period of the proclamation can be extended by 6-6 months, but in no case it can be kept in operation for a period more than 3 years.

उद्घोषणा का प्रभाव
(Effect of Proclamation)

- राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग की जायेंगी । The powers of the State Legislature shall be exercised by or under the authority of Parliament.

→ शक्तियों का केंद्रीकरण (Centralization of Powers)
वापस ⇒ राष्ट्रपति

वित्तीय आपात (Financial emergency)

- संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपात' के नहीं बारे में प्रावधान किया गया है । Provision for 'financial emergency' has been made under Article 360 of the Constitution.

आधार - वित्तीय आस्थिरता
financial unstability

- यह राष्ट्रपति वित्तीय आपात की कर्भ उद्घोषणा कर सकता है, यदि उसको यह समाधान हो जाय कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे कि भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व अथवा साख (Financial शक्ति or Credit) संकट में है । The President can declare a financial emergency if he is satisfied that a situation has arisen which endangers the financial stability or credit of India or any part of its territory.

उद्घोषणा की अवधि (Period of Proclamation)

- यदि संसद साधारण बहुमत से दो माह के पूर्व उद्घोषणा को अनुमोदित कर देती है तो वह अनिश्चित काल तक प्रवर्तन में बनी रहेगी। If the Parliament approves the proclamation with a simple majority two months before, it will remain in force indefinitely.

उद्घोषणा का प्रभाव (Effect of Proclamation)

- किसी राज्य के अधीन सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है। The salaries and allowances of all or any class of persons serving under a State may be reduced.

- संघ के अधीन सेवा करने वाले किसी या सभी व्यक्तियों (जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है।) के वेतन एवं भत्तों में कमी की जा सकती है । The salaries and allowances of any or all persons serving under the Union (including Judges of the Supreme Court and of the High Courts) may be reduced.